निग० – 4220/2018/ सतना/ भू.रा०   (183)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म.प्र.

राधेश्याम मौर्य तनय दादूराम मौर्य निवासी बेलाखाम तह. मैहर जिला रीवा म.प्र.

.................निगरानीकर्ता

बनाम्

रामस्वरूप मौर्य तनय छोटेलाल मौर्य निवासी बेलाखाम तह. मैहर जिला सतना म.प्र.

......................गैरनिगरानीकर्ता

प्रस्तुत श्री बृजेन्द्र सिंह
द्वारा पेश 07.7.18

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार महोदय तह.मैहर आदेश दिनांक 08.05.2018 प्र.क्र. 152/अ12/17–18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं–

1– यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की आपत्ति पर विचार किये बिना सरहद्दी काश्तकार न होने संबंधी निष्कर्ष निकालकर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है।

3– यह कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासन अधिकारी द्वारा विधिवत आपत्ति का निराकरण किया जाना चाहिए, किन्तु अधीनस्थ तहसीलदार महोदय के समक्ष आपत्ति को विचार हेतु प्रेषित न कर राजस्व निरीक्षक द्वारा स्वमेव ही आपत्ति का निराकरण कर मात्र पुष्टि आदेश पारित करा लिया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

4– यह कि अधीनस्थ हल्का पटवारी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन निगरानी प्रकरण व उस पर आक्षेपित सीमांकन प्रकरण क. 7/अ–12/12–13 आदेश दिनांक 30.08.2013 के आदेश की प्रतीक्षा किये बिना गैरनिगरानीकर्ता के राजनैतिक व प्रशासनिक प्रभाव में चलते बिना कोई सीमा चिन्ह कायम किये सड़क को सीमा चिन्ह मानकर फर्जी तरीके से विधि विरूद्ध सीमांकन कार्यवाही की गई है जो काबिल निरस्तगी के है।

.......2

(183)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 4220 / 2018 / सतना / भू–रा0 जिला–सतना

रधेश्याम मौर्य / रामस्वरूप मौर्य

(1)	(2)
19-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री लखन प्रताप सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मैहर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 152 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 08.05.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य